

प्रेषक,

मोनिका एस० गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ०प्र०,
प्रयागराज।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

विषय:- उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिये नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों (बी०एड० पाठ्यक्रम को छोड़कर) को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के ऑनलाइन निस्तारण हेतु समय-सारणी।

महोदय,

उपर्युक्त संदर्भ में अवगत कराना है कि विगत वर्षों में अनापत्ति एवं सम्बद्धता के प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष ऑनलाइन निस्तारण की अद्यतन स्थिति निम्नवत् है :-

	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत	निरस्त	लम्बित
अनापत्ति	2565	1370	560	635
सम्बद्धता	3930	2203	1260	467

पूर्व के वर्षों के लागित्र अनापत्ति एवं सम्बद्धता के कठिपय प्रस्तावों का अपेक्षित निस्तारण निर्धारित समय-सारणी के अंतर्गत नहीं किया गया, जो कि असंतोषजनक स्थिति है। इससे विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लंगता है और विभाग की छवि धूमिल होती है। इसका विश्वविद्यालय वारं विवरण संलग्न किया जा रहा है।

निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में अनापत्ति एवं सम्बद्धता आवेदनों के निस्तारण की स्थिति अत्यन्त असंतोषजनक है :-

अनापत्ति आवेदन

- (1) चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
- (2) डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।

सम्बद्धता आवेदन

- (1) जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।

निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में अभी भी बड़ी संख्या में अनापत्ति एवं सम्बद्धता के आवेदन पत्र लम्बित है :-

संख्या- ६५६ / सत्तर-२-२०२२-१६(११) / २०१७ टी०सी०

कुलसचिव कार्यालय
दिनांक १५.०७.२२
पंजका पुल सं १००
पत्रांक सं १९२०
संस्थायाकृ ८.

अनापत्ति आवेदन

- (1) प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू मैय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
- (2) डा० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।
- (3) चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
- (4) वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
- (5) महात्मा ज्योतिबाफुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।

सम्बद्धता आवेदन

- (1) प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू मैय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
- (2) डा० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।
- (3) बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी।

२— शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु उक्तानुसार लम्हित आवेदन पत्रों पर विचार करने की समय-सारणी

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व में उक्तानुसार प्राप्त एवं लम्हित अनापत्ति के 635 प्रकरणों तथा सम्बद्धता के 467 प्रकरणों के निस्तारण हेतु विश्वविद्यालयों को अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु ऑलाइन निस्तारण हेतु अंतिम अवसर प्रदान करते हुए निम्नवत् समय-सारणी निर्धारित की जाती है :—

क्र०	कार्यवाही	समय-सीमा
1	विश्वविद्यालय में ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि संबंधी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराया जाना	
2	अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत किया जाना	दिनांक 31 जुलाई, 2022 तक।
3	निरीक्षण मण्डल का गठन	दिनांक 12 अगस्त, 2022 तक। (1) अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत होने के पश्चात संस्था द्वारा विलम्बतम् दिनांक 05 अगस्त तक निरीक्षण मण्डल गठन के संबंध में आवेदन किया जायेगा। (2) तदोपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा 12 अगस्त तक निरीक्षण मण्डल का गठन कर लिया जायेगा।
4	निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आँख्या का प्रस्तुत किया जाना।	दिनांक 15 सितंबर, 2022 तक।
5	सदस्य-सचिव द्वारा आँख्या को ऑनलाइन अपलोड किया जाना।	दिनांक 17 सितंबर, 2022 तक।
6	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता ऑनलाइन प्रदान करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 22 सितंबर, 2022 तक।
7	शासन में अपील करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 26 सितंबर, 2022 तक।
8	शासन स्तर पर अपील निस्तारित करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 30 सितंबर, 2022 तक।

उपरोक्त निर्धारित समय-सारणी की तिथि व्यतीत होने के उपरान्त दिनांक 01 अक्टूबर, 2022 को लम्बित आवेदन पत्र पोर्टल में स्वतः विलोपित कर दिया जायेगा तथा संबंधित संस्था को नियमानुसार नवीन आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करना होगा।

पुनः स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त लम्बित अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों का निर्णय शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिये मान्य होगा।

3- शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु प्राप्त होने वाले नये आवेदन पत्र के संबंध में समय-सारणी

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बी0एड0 पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिये अनापत्ति एवं सम्बद्धता हेतु नये आवेदन प्रस्तुत करने और उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा उनके ऑनलाइन निरस्तारण हेतु समय-सारणी निर्धारित की जाती है :-

क्र0	कार्यवाही	समय-सीमा
1	विश्वविद्यालय में नये पाठ्यक्रमों हेतु अनापत्ति प्रस्ताव ऑनलाइन जमा करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 01 सितंबर से 31 दिसंबर, 2022 तक।
2	विश्वविद्यालय में ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि संबंधी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराया जाना	दिनांक 15 सितंबर से 31 जनवरी, 2023 तक। (1) अनापत्ति प्रस्ताव प्राप्त होने के तिथि से 07 दिन के अंदर संबंधित जनपद के जिलाधिकारी को सत्यापन हेतु प्रेषित कर दिया जायेगा। (2) तदोपरान्त जिलाधिकारी प्रस्ताव प्राप्त होने के अधिकतम् एक माह के अंदर सत्यापन रिपोर्ट संबंधित विश्वविद्यालय को ऑनलाइन प्रेषित कर देगा।
3	अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत किया जाना	दिनांक 15 फरवरी, 2023 तक।
4	निरीक्षण मण्डल का गठन	दिनांक 28 फरवरी, 2023 तक। (1) अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत होने के पश्चात संस्था द्वारा दिनांक 22 फरवरी तक निरीक्षण मण्डल का गठन के संबंध में आवेदन किया जायेगा। (2) तदोपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा 28 फरवरी तक निरीक्षण मण्डल का गठन कर लिया जायेगा।
5	निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या का प्रस्तुत किया जाना।	दिनांक 15 अप्रैल, 2023 तक।
6	सदस्य-सचिव द्वारा आख्या को ऑनलाइन अपलोड किया जाना।	दिनांक 18 अप्रैल, 2023 तक।
7	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता ऑनलाइन प्रदान करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 28 अप्रैल, 2023 तक।
8	शासन में अपील करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 15 मई, 2023 तक।

९	शासन स्तर पर अपील निस्तारित करने की दिनांक 15 जून, 2023 तक। अन्तिम तिथि
---	--

अनापत्ति एवं सम्बद्धता के अनिस्तारित आवेदन पत्र दिनांक 16 जून को पोर्टल से खतः विलोपित कर दिये जायेंगे तथा संस्थां को अगले शैक्षिक सत्र हेतु नवीन आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करना होगा।

4— सामान्य निर्देश

(i) अनापत्ति प्रस्ताव ऑनलाइन जमा करने के संबंध में निर्देश

- वर्तमान में लम्बित आवेदन पत्र (उक्त प्रस्तर में उल्लिखित) तथा 01 सितंबर, 2022 से 31 दिसंबर, 2022 तक विश्वविद्यालय में अनापत्ति के ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्ताव सम्बद्धता हेतु आगामी शिक्षण सत्र 2023–24 हेतु विचारणीय होंगे।
- जो शिक्षण संस्थान समस्त अर्हताएं पूर्ण करते हैं, वे अनापत्ति एवं सम्बद्धता की पूर्वानुमति हेतु एक साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, किन्तु ऐसे प्रस्तावों पर चरणबद्ध तरीके से ही कार्यवाही की जायेगी। अनापत्ति निर्गत होने के पूर्व इसे सम्बद्धता के प्रति प्रतिबद्धता / आश्वासन नहीं माना जायेगा।
- (ii) ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि संबंधी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराये जाने के संबंध में निर्देश :—
 - खतौनी का सत्यापन।
 - संयुक्तता प्रमाण पत्र एवं नजरी का स्थलीय सत्यापन।
 - सत्यापन उन बिन्दुओं तक होगा जो शासनादेश के अनुरूप हों अन्यथा यह माना जायेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुचित आपत्तियां लगाई जा रही हैं।
- (iii) निरीक्षण मण्डल हेतु पैनल बनाने के मानक :—
 - निरीक्षण मण्डल का पैनल विश्वविद्यालय तैयार करेंगे, जिसमें सक्षम स्तर के विषय विशेषज्ञ होंगे तथा एक सदस्य-सचिव का नामांकन भी किया जायेगा, जिसका दायित्व निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा।
 - निरीक्षण की तिथि हेतु विश्वविद्यालय द्वारा दो विकल्प दिये जाएंगे, जिसपर पैनल सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। उक्त दोनों तिथियां पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी। संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव का यह दायित्व होगा कि उक्त निर्धारित तिथि पर पैनल सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित हो। निर्धारित तिथि पर निरीक्षण न होने की स्थिति में आवेदन पत्र पर नियमानुसार निर्णय लिया जायेगा।
 - पैनल में जो सदस्य निरीक्षण हेतु निर्धारित तिथि पर उपस्थित न हों अथवा जिनकी सत्यनिष्ठा की शिकायत हो, उनके विरुद्ध मन्तव्य स्थापित करने हेतु उचित कार्यवाही की जाये।
 - पैनल सदस्यों के कार्य आचरण का वर्षानुवर्ष रिकार्ड रखा जाये।
- (iv) निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु मानदण्ड :—

- प्रस्ताव एवं अभिलेख की प्राप्ति चेक लिस्ट के अनुसार हो तथा प्राप्त कर्ता द्वारा स्पष्ट रूप से इंगित किया जाये।
- निरीक्षण आख्या पूर्ण एवं सुस्पष्ट हो। शासनादेश में जिन बिन्दुओं की पुष्टि की अपेक्षा है, उसके अनुरूप निरीक्षण आख्या हो, यह सुनिश्चित करने का दायित्व सदस्य सचिव का होगा।
- समिति का कोई सदस्य असहयोग करता है तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करेगा।
- सदस्य-सचिव का यह दायित्व होगा कि निरीक्षण मण्डल की आख्या को उपरोक्त निर्धारित समय-सारिणी के अंतर्गत अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- कुलसचिव का यह दायित्व होगा कि उपरोक्त निर्धारित समय-सारिणी के अंतर्गत समस्त कार्यवाही समयबद्ध रूप से कराना सुनिश्चित करें।

कृपया उक्त समय-सारणी एवं निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

 (मोनिका एस० गर्ग)
 अपर मुख्य सचिव।

संख्या—६५६८०/सत्तर-२-२०२२ तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- प्रमुख सचिव, श्री कुलाधिपति, उ०प्र०।
- समस्त कुलपति, राज्य विश्वविद्यालय, उ०प्र०।
- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।
- निदेशक, सूचना विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ।
- अपर सचिव उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री/निजी सचिव, मा० उप मुख्यमंत्री जी।
- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

\\
 (अवण कुमार सिंह)
 विशेष सचिव।

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर

पृष्ठांकनः—पत्रांकःपू०वि०वि०/ सम्ब०/ 2022/ 1509

दिनांकः 20-7-22

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. समस्त प्रबन्धक / प्राचार्य, सम्बद्ध महाविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त शासनादेश के क्रम में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
2. विशेष कार्याधिकारी कुलपति, कुलपति महोदया के सूचनार्थ।
3. वेबमास्टर, विभिन्नों को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को विश्वविद्यालय ली वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

२०-७-२२
सहाय कुलसचिव